

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जैल रोड, भोपाल

क्रमांक / बी-6 / नियमन / १५५

भोपाल, दिनांक ०८.११.२०२१

आदेश

प्रदेश की मण्डी समितियों के प्रांगणों में खरीफ फसलों की आवक प्रारम्भ होने के साथ-साथ मण्डी प्रांगणों में किसान भाईयों, व्यापारियों, हम्माल-तुलावटियों तथा अन्य कृत्यकारियों की आमद मण्डी प्रांगणों में अत्यधिक होने लगी है। म.प्र.शासन की मंशा अनुरूप पूर्व में भी कोविड-19 की रोकथाम के लिए मण्डी प्रांगणों में वृहद टीकाकरण शिविरों का आयोजन किया गया था। जिसमें मण्डी समितियों के अधिकारी/कर्मचारियों, व्यापारियों, हम्माल-तुलावटियों एवं कृषक भाईयों के साथ-साथ अन्य कृत्यकारियों का टीकाकरण किया गया था।

उपरोक्तानुसार पुनः मण्डी प्रांगणों/उपमण्डी प्रांगणों में स्वास्थ विभाग से सामंजस्य स्थापित कर तथा जिला प्रशासन के सहयोग से कोविड-19 के वैक्सीनेशन (टीकाकरण) का शिविर लगाए जाकर कोविड-19 के वैक्सीनेशन (टीकाकरण) की दूसरी डोज लगवाने हेतु लोगों को जागरूक कर तत्परता से टीकाकरण कराया जाए। उक्त टीकाकरण कार्यक्रम की सूचना मण्डियों में लगे हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र से निरन्तर तथा प्रतिदिन प्राथमिकता से की जाए। मण्डी समितियों में जो टीकाकरण के प्रचार-प्रसार हेतु होर्डिंग/बैनर इत्यादि लगाए गए हैं उसकी संख्या भी बढ़ाई जाए। टीकाकरण का मण्डी प्रांगण में व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाए।

संलग्न:- प्रचार-प्रसार हेतु लगाये जाने वाले फ्लैग्स का प्रारूप

(विकास नरवाल)

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बी-6 / नियमन / १५६

भोपाल, दिनांक ०८ .११.२०२१

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
02. अपर संचालक / संयुक्त संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
03. संयुक्त / उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय.....
04. भारसाधक अधिकारी / सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति,जिला....

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

टीकाकरण
महाभियान

भूल नहीं जाना रे!

10
नवंबर

दो डोज पूर्ण सुरक्षा सम्पूर्ण



ग्रनेपर्क
सीरिज ऑफिस